संचिका सं0–(बि0स0स0)(वा0ले0)–30 / 2022

बिहार सरकार
बिहार संवाद समिति
(सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग)

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग अन्तर्गत गठित बिहार संवाद समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित सूची में सूचीबद्ध सी0ए0 फर्म्स / संस्थाओं से समिति का वित्तीय वर्ष–2023–24 तथा 2024–25 का Satutory Audit करने हेतु सीलबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन सभी करों सहित होना अनिवार्य है।

इच्छुक प्रतिष्ठान सूचना भवन, द्वितीय तल, पुनाई चक, पटना स्थित बिहार संवाद समिति के कार्यालय में दिनांक–23.05.2025 अपराह्न 03:00 बजे तक कोटेशन समर्पित कर सकते है। प्राप्त कोटेशनों को दिनांक–26.05.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जायेगा।

आवश्यक अर्हताः–

1. सी0ए0 फर्म / संस्था को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित सूची में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है।
2. फर्म / संस्था न्यूनतम 05 (पाँच) वर्षों से ICAI में निबंधित होना चाहिए।
3. फर्म / संस्था का आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष–2022–23 तथा 2023–24), पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 निबंधन होना अनिवार्य है।
4. फर्म / संस्था को सरकारी विभाग / बोर्ड / निगम / सोसाईटी में अंकेक्षण का कम–से–कम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
5. फर्म / संस्था न्यायालय, किसी नियामक प्राधिकरण या राज्य / केन्द्र सरकार के द्वारा ना तो कदाचार का दोषी ठहराए गए हो और ना ही काली सूचीबद्ध किए गए हों। इससे संबंधित स्वअभिप्रमाणित घोषणा पत्र एवं उक्त सभी कागजात संलग्न होना चाहिए।

सामान्य निर्देशः–

1. तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित लिफाफे के ऊपर यथास्थिति तकनीकी प्रस्ताव एवं 'वित्तीय प्रस्ताव' अंकित करना होगा। दोनो लिफाफों को एक बाहरी लिफाफे में सीलबंद जमा करना होगा।
2. तकनीकी प्रस्ताव के साथ आवश्यक अर्हता संबंधी सभी दस्तावेजों / अभिलेखों की फर्म / संस्था के अधिकृत हस्ताक्षरों द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
3. फर्म्स / संस्थाओं द्वारा निर्धारित अर्हता धारण किया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु तकनीकी मुल्यांकन स्वरूप प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव खोले जाएगें। तत्पश्चात् मात्र तकनीकी मुल्यांकन में सफल फर्म्स / संस्थाओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएगें।
4. वित्तीय प्रस्ताव खोलकर प्रस्तावित दरों की तुलनात्मक विवरणी तैयार की जाएगी। न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाले फर्म / संस्था को कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

15/05/25.

(वैभव श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक,
बिहार संवाद समिति,